

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)**

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022  
प्र.इ.रि.स..... 253/2022 ..... दिनांक ..... 26/6/2022
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें - धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018  
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता -  
(iii) अधिनियम - धारायें -  
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें -
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ..... 483 ..... समय ..... 3.30 PM  
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय: शुक्रवार दिनांक 24.06.2022 समय 12.55 पीएम  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 22.06.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 550 किलो मीटर  
(ब) पता : वन नाका वेड रेंज डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।  
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :  
(अ) नाम : - श्री जितेन्द्र कुमार निनामा  
(ब) पिता - श्री कान्तिलाल निनामा  
(स) जन्म तिथि/वर्ष - 27 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता : - भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या ..... - ..... जारी होने की तिथि.....  
जारी होने की जगह..... - .....  
(र) व्यवसाय - मजदूरी  
(छ) पता - गांव वेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री वासुदेव खांट पुत्र श्री रूपा खांट उम्र 28 वर्ष जाति भील निवासी गांव राजपुर पोस्ट भीलुडा फलातेड़ तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर हाल वनरक्षक वन नाका वेड रेंज डूंगरपुर जिला डूंगरपुर।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलपित सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : - 3,000/- रूपये
11. मार्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :-
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिवक्ति पन्ना लगावे)-

4

## कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा

दिनांक 22.06.2022 समय 03.15 पीएम

दर्ज रहे कि परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार निवासी गांव वेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर ने आज दिनांक 22.06.2022 को 10.57 एएम पर जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर बताया कि आरोपी श्री वासुदेव वन गार्ड वननाका वेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा वननाका क्षेत्र मे लकड़ी काटने के नाम पर डरा धमका कर लकड़ी काटने की मशीन को जप्त कर जेल भिजवाने के नाम से रिश्वत राशि मांगी जा रही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी को हिदायत की गई कि राजकार्य से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित आ रहा हूं जो ट्रेप कार्यवाही हेतु अविलम्ब ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित आवे। परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा पिता श्री कान्तिलाल निनामा जाति भील उम्र 27 वर्ष निवासी गांव वेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं प्रार्थी जितेन्द्र कुमार निनामा पिता श्री कान्तिलाल निनामा जाति भील निवासी गांव वेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूं। वननाका भागागड क्षेत्र से करीब 2 माह पूर्व 4 जोतेड (पाट) हेतु लकड़ी लाया था, जिसका जुर्माना हेतु 5000 वनगार्ड फोरेस्टर साहब वननाका भागागड को दिये जिसका रसीद आज दिनांक तक नहीं दी हैं। इसके बाद वन नाका भागागड वाले आये और दो लकड़ी उठाकर ले गये उसके बाद भी कोई कार्यवाही की रसीद नहीं दी गई। इसके बाद वन नाका वेड जाकर श्री वासुदेव वनगार्ड से सम्पर्क कर लकड़ी काटकर ले जाने व लकड़ी काटने की रसीद के लिये कहा तो वासुदेव ने कहा कि मैं हूं सब संभाल लूंगा तुझे रसीद कटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रसीद के लिये काफी निवेदन किया परन्तु वासुदेव नहीं माना और कहा कि तू मेरे वननाका वेड क्षेत्र में खुब लकड़ी काटकर ले गया है। तुने अगर 5000 रुपये खर्चपानी के नहीं दिये तो वन क्षेत्र में लकड़ी काटने के जूम में तेरी मशीन जप्त कर मामला दर्ज कर जेल भिजवा दूंगा। रिश्वत राशि हेतु वासुदेव बार-बार सम्पर्क कर रहा है। श्री वासुदेव वनगार्ड को 5000 रुपये रिश्वत नहीं देकर आपके विभाग से पकडवाने की कार्यवाही चाहता हूं। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं।" इत्यादि पेश की गई। परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया गया तो शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया गया। परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभांती समझायी गई। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को तलब कर परिवारी का आपस में परिचय करवाया गया तथा ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के रख रखाव व संचालन की विधी पूर्णतया परिवारी को समझायी गयी। श्री वीर विक्रम कानि. को परिवारी के हमराह वननाका वेड जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु मुनासिब हिदायत की गई। समय 03.50 पीएम पर परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर सूपुर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवारी के हमराह श्री वीर विक्रम कानि को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से वननाका वेड जिला डूंगरपुर के लिये रवाना किया गया। समय 06.30 पीएम पर श्री वीर विक्रम कानि. मय डिजीटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर हाजिर आया और कानि. ने बताया कि ब्यूरो इकाई से रवाना शुदा समय करीब 05.20 पीएम पर वननाका वेड के पास पहुंचा व परिवारी को मुनासिब हिदायत के वननाका के लिये रवाना कर मन् कानि. आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम रहा। करीब 15 मिनट बाद परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार वननाका से बाहर निकल मन् कानि. के पास आया और मन् कानि ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर परिवारी से प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवारी ने बताया कि वननाका वेड पर गया तो श्री वासुदेव वनगार्ड उपस्थित मिले जिनके द्वारा लकड़ी काटने के नाम से 5000 रुपये रिश्वत की मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 2000 रुपये ग्रहण कर लिये है तथा शेष 3000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई और सरकारी रसीद काटने हेतु कहा तो कहा कि कोई रसीद नहीं है मैं सब देख लूंगा। रिश्वत राशि की व्यवस्था जब भी हो तुरन्त लेकर उपस्थित आने हेतु कहा है। आपके निर्देशानुसार परिवारी श्री जितेन्द्र कुमार को दिनांक 24.06.2022 को समय 8.00 एएम पर रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत कर गांव वेड से ही रवाना कर दिया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकोर्डर को चलाकर सुना गया तो आरोपी श्री वासुदेव वनगार्ड द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 5000 रुपये रिश्वत की मांग करते हुये 2000

h

रूपये ग्रहण कर लिये एवं शेष परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक: 24.06.2022 समय 08.00 एएम पर तलबीदा शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री विक्रम चौबीसा पिता श्री नटवरलाल चौबीसा उम्र 38 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी गांव खेडा कच्छवासा तहसील व जिला डूंगरपुर हाल संदर्भ व्यक्ति(आरपी) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दोवडा जिला डूंगरपुर एवं श्री गोपाल कुमार कटारा पिता वजाजी कटारा उम्र 54 वर्ष जाति भील निवासी गांव नवाघरा पोस्ट धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान जिला डूंगरपुर उपस्थित आये। समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर उपस्थित आया और बताया कि रिश्वत राशि 3000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूँ। समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहानों को अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 22.06.2022 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री वासुदेव वनगार्ड के बीच दिनांक 22.06.2022 को रिकॉर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मालखाने से निकालकर टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (MORJIM 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर मौतबिरान तथा परिवादी को रुबरु शब्द-बशब्द सुनकर दर्ज वार्ता की उनके समक्ष श्री वीर विक्रम कानि. से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 11.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री वासुदेव को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैं :-

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 DN	825025
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 QB	533442
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 AM	357663
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 EC	254563
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BR	765404
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 RD	776747

ट्रेप बॉक्स से फिनोफथलीन की शिशी श्री लादूराम हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफथेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तु नहीं छोड़ते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री माजिद खान कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री लादूराम हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफथेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफथेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों

HL

से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री लादूराम हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री लादूराम हैड0 कानि0 एवं श्री माजिद खान कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का इशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री माजिद खान कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 11.40 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि आज सुबह श्री वासुदेवजी से मोबाईल पर मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ने कहा था कि मैं थोड़ा डूंगरपुर की तरफ जाऊंगा फोन करके वन नाका पर आना। जिस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 6375465419 से आरोपी श्री वासुदेव के मोबाईल नम्बर 9351783303 पर वार्ता करायी जाकर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर कर उक्त वार्ता को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। आरोपी श्री वासुदेव द्वारा वार्ता में परिवादी को वन नाका वेड के पीछे मिलने हेतु कहा गया है। समय 11.50 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्रकुमार को रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर संचालन की विधी पुनः समझा कर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 12.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि. श्री जितेन्द्रसिंह कानि. झा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक व वीर विक्रम कानि. व श्री महेशचन्द्र कानि. एवं श्री पंकज कानि. व परिवादी जितेन्द्र कुमार को अपनी-अपनी मोटरसाईकल से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से वन नाका वेड जिला डूंगरपुर के लिये रवाना हुआ। समय 12.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक व वीर विक्रम कानि. व श्री महेशचन्द्र कानि. एवं श्री पंकज कानि. व परिवादी जितेन्द्र कुमार को अपनी-अपनी मोटरसाईकल से वन नाका वेड के पास पहुंच कर परिवादी को मुनासिब हिदायत के वन नाका वेड के लिये रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता वन नाका वेड के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 12.55 पीएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा ने वननाका वेड से पीछे बाउण्ड्रीवाल की से लगती हुई वन क्षेत्र(जंगल) की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर खड़े होकर एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित इशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरने का करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता तेज कदमो से चलते हुए परिवादी व उस व्यक्ति के पास पहुंचने लगे तो वह व्यक्ति भागने लगा तो ब्यूरो जाप्ता ने पकड़ लिया। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार से डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि यही वासुदेव वनगार्ड वननाका वेड है। परिवादी ने यह भी बताया कि अभी मैं रिश्वत राशि देने हेतु वननाका वेड पर आया और वासुदेव को मेरे मोबाईल से उनके मोबाईल पर फोन किया तो उन्होंने वननाका वेड के पीछे आने हेतु कहा जिस पर मैं मोटर साईकल से वननाका वेड के पीछे इस सड़क पर आया तो उनके द्वारा मुझसे बकाया रिश्वत राशि 3000 मांगने पर दी गई, इन्होंने ग्रहण करते हुए दोनो हाथों से गिनकर राशि को अपने बांये हाथ में पकड़ रखा था। ब्यूरो टीम को आता हुआ देखकर रिश्वत राशि हाथ से नीचे कच्ची सड़क पर फैंक दिये, जो वो पड़ी है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं व हमराहियानों का परिचय देते हुए उस व्यक्ति से नाम, पता पुछा तो उसने अपना नाम वासुदेव खांट पिता रुपा खांट निवासी गांव राजपुर पोस्ट भीलूड तहसील सागवाडा

जिला डूंगरपुर हाल वन रक्षक वननाका वेड रेंज डूंगरपुर जिला डूंगरपुर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री वासुदेव खांट से पूछा गया कि अभी-अभी रिश्वत राशि 3000 रुपये परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार किस बात के ग्रहण किये गये है, तो आरोपी वासुदेव ने बताया कि श्री जितेन्द्र कुमार ने वन नाका वेड के क्षेत्र में लकड़ी काटने हेतु कहा था उसके लिये और जबरदस्ती मुझे 3000 रुपये दिये जो मैंने आप सभी व्यक्ति एक साथ मेरी तरफ आते देखकर मैंने ये रोड़ पर फैंक दिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार ने कहा कि वासुदेव जी झूठ बोल रहे है मैंने अपने मकान बनाने हेतु लकड़ी की आवश्यकता होने पर इनसे सम्पर्क कर लकड़ी के लिये सरकारी रसीद काटने हेतु निवेदन किया परन्तु वह नहीं माने और कहा कि तू तो लकड़ी काटकर ले जा मैं सब संभाल लूंगा, सरकारी रसीद कटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सरकारी रसीद के लिये कहा तो उन्होंने मुझे डरा धमका कर कहा कि तू जंगल में बहुत लकड़ी काटकर ले गया है अगर मुझे खर्चपानी(रिश्वत राशि) के 5000 रुपये नहीं देगा तो तेरे खिलाफ लकड़ी काटकर ले जाने का मामला दर्ज कर जेल भिजवा दूंगा एवं लकड़ी काटने की मशीन को सील करा दूंगा। दिनांक 22.06.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मुझसे 5000 रुपये रिश्वत की मांग की गई और मांग सत्यापन के दौरान ही मुझसे 2000 रुपये रिश्वत के ग्रहण कर लिये और उनकी मांग अनुसार बकाया 3000 रुपये रिश्वत राशि देने पर अपने हाथों से गिनकर बांये हाथ में पकड़ रखे थे पर ब्यूरो टीम को देखकर इन्होंने रोड़ पर फैंक दिये थे। जिस पर आरोपी वासुदेव खांट वन रक्षक एकदम चुप हो गया कुछ नहीं बोला। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाप्ता तथा आरोपी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम चौबीसा से आरोपी की बांयी तरफ रोड़ पर पड़े हुए 500-500 के पड़े हुए नोटो को उठवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहु फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500-500 रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये बरामद हुए जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। घटना स्थल जंगल क्षेत्र में होकर मौके पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपयुक्त स्थान नहीं होने से आरोपी श्री वासुदेव वन रक्षक के दोनों हाथों को कलाई से उपर सुरक्षित ब्यूरो जाप्ता श्री वीर विक्रम कानि. व श्री पंकज कानि. से पकड़वाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी, आरोपी श्री वासुदेव व हमराहियानों के मौके से पास ही बने वननाका वेड के कार्यालय हेतु पैदल-पैदल रवाना होकर वननाका वेड के कार्यालय में पहुंचा, जहां पर श्री रविन्द्रसिंह फोरेस्टर वननाका वेड उपस्थित मिले। श्री रविन्द्रसिंह फोरेस्टर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बाक्स को श्री माजिद खान कानि0 से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में वननाका पर पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री वासुदेव के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का मटमैला हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये को एक कागज की चीट लगाकर सीलचीट कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। वननाका वेड ग्रामीण क्षेत्र में होकर बिजली की असुविधा है तथा ब्यूरो की कार्यवाही को देखकर आम लोगों की भीड़भाड़ हो गयी है ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच कर किया जाना उचित होने से श्री रविन्द्रसिंह फोरेस्टर वननाका वेड को वन विभाग द्वारा लकड़ी काटने पर जुर्माना राशि से संबधित आवश्यक रिकोर्ड के साथ ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय 01.45 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक, परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व ब्यूरो जाप्ता मय ट्रेप बाक्स, जाप्त शुदा

h

रिश्वत राशि 3000 रुपये व आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शिशियां क्रमशः मार्क आरएच-1 व 2 एवं एलएच-1 व 2 के वननाका वेड से अपने-अपने वाहनों में वन नाका वेड से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर के लिये रवाना हुए। समय 02.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक, परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार व ब्यूरो जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये व आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शिशियां क्रमशः मार्क आरएच-1 व 2 एवं एलएच-1 व 2 के वननाका वेड से अपने-अपने वाहनों से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंचे। समय 02.45 पीएम पर तलबिदा श्री रविन्द्र सिंह फोरेस्टर वननाका वेड मय आवश्यक दस्तावेजों के उपस्थित आया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रविन्द्रसिंह फोरेस्टर से वननाका वेड क्षेत्र में परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार लकड़ी काटने के संबध में किसी प्रकार की राजकीय शुल्क वसूल कर रसीद जारी की गई है के संबध में रिकॉर्ड चाहा गया तो श्री रविन्द्रसिंह ने बताया कि श्री जितेन्द्र कुमार पिता श्री कान्तिलाल निनामा निवासी वेड जिला डूंगरपुर के खिलाफ वननाका क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध लकड़ी काटने बाबत् कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही श्री वासुदेव खांट वन रक्षक द्वारा अवैध लकड़ी काटने संबधी सूचना दी गई है। वन क्षेत्र में अवैध लकड़ी काटने पर संबधित के विरुद्ध वन अधिनियम धारा 1953 की धारा 26(1)क के द्वारा प्रकरण दर्ज कर उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाता है एवं संबधित के द्वारा जूर्म कबूल कर विभाग नियमानुसार राशि देने पर रवाना बुक द्वारा संबधित को रसीद दी जाकर वसूल किया गया जूर्माना राजकोष में जमा कराया जाता है। श्री वासुदेव खांट वन रक्षक वननाका क्षेत्र के अधीन अवैध लकड़ी परिवहन पर संबधित से जूर्माना राशि तय करना एवं वसूल करने के लिये विभागीय नियमानुसार अधिकृत नहीं है। यदि श्री वासुदेव खांट वनरक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार से 5000 रुपये ग्रहण किये है वह अवैध होकर रिश्वत राशि मानी जायेगी। उक्त ट्रेप कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब की जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करारकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04.15 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 24.06.2022 को समय 11.43 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर 6375465419 व आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक के मोबाईल नम्बर 9351783303 पर हुई वार्ता एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत लेनदेन के वक्त हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकॉर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (MORJIM 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्यूटर में लगाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री नारायणलाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उराके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी वासुदेव खांट वन रक्षक का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 05.15 पीएम पर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक के कब्जे मिला मोबाईल फोन मय सिमकार्ड वास्ते वजह सबुत जप्त कर विस्तृत फर्द जाप्ती मोबाईल मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.30 पीएम पर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक, वन नाका वेड रेंज डूंगरपुर जिला डूंगरपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मेडिकल ज्युरिस्ट राजकीय श्री हरिदेव जोशी चिकित्सालय डूंगरपुर के नाम तहरिर जारी कर श्री लादूराम हैड कानि0 एवं श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से रवाना किया गया। समय 08.00 पीएम पर श्री लादूराम हैड कानि0 एवं श्री महेशचन्द्र कानि. एवं आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर हाजिर आये। श्री लादूराम हैड कानि0 द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा व स्वतंत्र गवाहान श्री विक्रम चौबीसा व श्री गोपाल कुमार को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। दर्ज रहे कि आरोपी श्री वासुदेव

खांट वन रक्षक अविवाहित गांव राजपुर पोस्ट भीलूडा फलातेड तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर का निवासी है। आरोपी के रिहायशी मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली जानी है जिस हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तहसील कार्यालय में समय 10.00 पीएम पर उपस्थित मिलने हेतु तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर को जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया। समय 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि., श्री पंकज कानि., श्री महेशचन्द्र कानि., गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री वासुदेव खांट, जप्तशुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये, आरोपी श्री वासुदेव खांट के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता, रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीलचीट शुदा पेन ड्राईव पैकेट नंग-2 एवं उक्त वार्ताओं की डब सीडियां व जप्तशुदा मोबाईल इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से सागवाडा जिला डूंगरपुर के लिये रवाना हुआ। समय 10.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री वासुदेव खांट मय ट्रेप बॉक्स इत्यादि के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से रवाना शुदा तहसील कार्यालय सागवाडा पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबंद शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री विनज पुजोत हाल पटवारी पटवार हल्का सागवाडा एवं श्री शुभम लौहार कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय सागवाडा जिला डूंगरपुर उपस्थित मिले जिनको उनके वाहन में हमराह लेकर सागवाडा से गांव राजपुर के लिये रवाना हुआ। समय 10.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री वासुदेव खांट जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के सागवाडा से रवाना शुदा आरोपी के गांव राजपुर उसके मकान पर पहुंचा। आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। समय 11.15 पीएम पर आरोपी श्री वासुदेव खांट के रिहायशी मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तालाशी मूर्तिब कर दोनो स्वतंत्र गवाहानों को मुनासिब हिदायत के रुखसत करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह के गांव राजपुर पोस्ट भीलूडा फलातेडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ।

दिनांक 25.06.2022 समय 12.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो जाप्ता श्री माजिद खान कानि., श्री पंकज कानि., श्री महेशचन्द्र कानि., गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री वासुदेव खांट, जप्तशुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये, आरोपी श्री वासुदेव खांट के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता, रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीलचीट शुदा पेन ड्राईव पैकेट नंग-2 एवं उक्त वार्ताओं की डब सीडियां व जप्त शुदा मोबाईल इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप मय प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक के गांव राजपुर से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहुंचा। समय 12.10 एएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्तशुदा रिश्वत राशि 3000 रुपये, आरोपी श्री वासुदेव खांट के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता, रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीलचीट शुदा पेन ड्राईव पैकेट नंग-2 एवं उक्त वार्ताओं की डब सीडियां, जप्त शुदा मोबाईल इत्यादि श्री महेशचन्द्र कानि. को सुपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 12.25 एएम पर आरोपी श्री वासुदेव खांट को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने तहरिर जारी कर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि. मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 12.45 एएम पर श्री माजिद खान कानि, श्री महेशचन्द्र कानि, श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। श्री माजिद खान कानि ने आरोपी वासुदेव खांट वन रक्षक को पुलिस थाना कोतवाली में जमा रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश की जिसे शागील पत्रावली किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री वासुदेव खांट को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन, मोबाईल वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिर्नाफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण,

W

फर्द रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा ने मकान बनाने हेतु लकड़ी की आवश्यकता होने पर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक से सम्पर्क कर लकड़ी के लिये सरकारी रसीद काटने हेतु निवेदन किया परन्तु आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक ने परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार को कहा कि तू तो लकड़ी काटकर ले जा मैं सब संभाल लूंगा, सरकारी रसीद कटाने की कोई जरूरत नहीं है। परिवादी ने सरकारी रसीद के लिये कहा तो उन्होंने उसे डरा धमका कर कहा कि तू जंगल में बहुत लकड़ी काटकर ले गया है अगर खर्चपानी(रिश्वत राशि) के 5000 रुपये नहीं देगा तो तेरे खिलाफ लकड़ी काटकर ले जाने का मामला दर्ज कर जेल भिजवा दूंगा एवं लकड़ी काटने की मशीन को सील करा दूंगा। दिनांक 22.06.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा से 5000 रुपये रिश्वत की मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 2000 रुपये रिश्वत के ग्रहण किये गये तथा बकाया रिश्वत राशि 3000 रुपये मांग करने पर आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक को परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निनामा से 3000 रुपये लेते हुये दिनांक 24.06.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी श्री वासुदेव खांट वन रक्षक के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री वासुदेव खांट पुत्र श्री रूपा खांट उम्र 28 वर्ष जाति भील निवासी गांव राजपुर पोस्ट भीलुडा फलातेड़ तहसील सागवाडा जिला झूंगरपुर हाल वनरक्षक वन नाका वेड रेन्ज झूंगरपुर जिला झूंगरपुर के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कर्मांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,


  
(माधारी सिंह)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा



## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री वासुदेव खांट, वनरक्षक, वन नाका वेड, रेंज डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 253/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
26.6.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 2229-33 दिनांक 26.6.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, डूंगरपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

  
26.6.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।